न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 135–एक / 2011, विरूद्ध आदेश दिनांक 20–01–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 178 / 2008–09

....

केशव प्रसाद उर्फ कैलाश पुत्र गरीवे
निवासी–ग्राम आंतो तहसील मेहगांव
जिला–भिण्ड .... आवेदक

विरूद्ध

1– बाबू सिंह पुत्र ख्याली
निवासी ग्राम अमायन तहसील मेहगांव
जिला–भिण्ड
.....................असल अनावेदक

2– उषादेवी पत्नी माधौ
निवासी–ग्राम परधोना तहसील मेहगांव
जिला–भिण्ड ....तरतीवी अनावेदक

....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/17 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, जिला–मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–01–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आंतो, तहसील मेहगांव जिला–भिण्ड के पूर्व कोटवार श्यामलाल की मृत्यु हो जाने से कोटवार का पद रिक्त हुआ । तहसील मेंहगांव द्वारा ग्राम आंतो में कोटवार पद की नियुक्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये जिस पर से आवेदक कैलाश उर्फ केशव अनावेदक क्रं0 1 बाबूसिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं0 04/07–08/अ–56 पर पंजीबद्ध किया जाकर आवेदकों के पात्रता की विधिवत जांच कर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 12.9.2008 द्वारा ग्राम अमायन पर कोटवार पद पर आवेदक की नियुक्ति की गई । अनावेदक बाबूसिंह ने तहसील के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 38/2008–09/अपील पर पंजीबद्ध की जाकर पारित आदेश दिनांक 30.05.2010 द्वारा अनावेदक की अपील को निरस्त कर दिया गया एवं तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया । अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2011 द्वारा अनावेदक की अपील इस आधार पर स्वीकार की गई की अनावेदक मृतक का भाई है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसील पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को पूर्व कोटवार के निकटतम वारिस को कोटवार नियुक्त करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01. 2011 से दु:खी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि पूर्व कोटवार श्यामलाल का शपथपत्र कोटवार का पद रिक्त होने के पूर्व का है। शपथपत्र के आधार पर पूर्व कोटवार के जीवित रहते कार्यवाही क्यों नहीं की गई श्यामलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त शपथपत्र क्या कानूनन कोई महत्व नहीं है । इस बिन्दु पर बगैर विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर भूल की है । पूर्व कोटवार श्यामलाल लावल्द फोत हुआ है उसकी कोई संतान नहीं है । सम्बन्धी की परिभाषा में पुत्र, पुत्री, नाती, पुत्री का पुत्र एवं दमाद आता है। भाई सम्बधी की परिभाषा में नहीं आता है । इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतैई विचार ही नहीं किया । कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार उसी गांव का निवासी होना आवश्यक शर्त है जबकि अनावेदक ग्राम आंतो का निवासी न होकर ग्राम अमायन का निवासी है। जो ग्राम आंतो से 7 कि0मी0 दूर है अनावेदक उसी ग्राम का निवासी न होने से ग्राम आंतो में कोटवार पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता है । बिन्दु पर अधीनस्थ द्वारा विचार ही नहीं किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं निरस्तनीय है । ग्राम पंचायत आंतो द्वारा आवेदक को ग्राम आंतो का कोटवार नियुक्त किये जाने बाबत् बिना अभिमत ठहराव द्वारा किया गया है जो तहसील प्रकरण में संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के अभिमत को अनदेखा कर ग्राम पंचायत की मंशा के विपरीत आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है । तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के दोनों न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश है । द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सिद्धांतो के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर शीट में कोई कांटछांट नहीं की है । भूलवश जो दिनांक गलत अंकित हो गया था उसे सुधारा गया है जबकि अनावेदक को विधिवत पर्याप्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है । अनावेदक के आवेदन पत्र पर विधिवत विचार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करने का आधारों का अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया । विचारण

न्यायालय के प्रकरण में क्या कार्यवाही शेष रह गई जिसकी पूर्ति हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने की आवश्यकता हुई । जब प्रकरण में पूर्व जांच व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध थी तब अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में गुण दोषों के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने में गम्भीर भूल की है । जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय तहसील एवं अनुविभगाय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेंहगांव वृत्त अमायन द्वारा कोटवार श्यामलाल पुत्र ख्याली कोटवार ग्राम आंतो के फोत होने पर दिनांक 13.8.2008 को विज्ञप्ती प्रकाशन हेतु पेशी दिनांक 15.09.2008 नियत की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डरशीट में कांट–छांट कर विज्ञप्ती तिथि के पूर्व ही आदेश पारित किया गया था और आर्डरशीट में फेरबदल कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया । अनावेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया गया फिर भी आवेदक की नियुक्ति किस प्रकार कर दी गई । तहसीलदार का आदेश नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध था एवं धारा 230 के अंतर्गत कोटवार नियुक्ति नियम के विरूद्ध है । अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 230 का पालन करते हुये प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सही रिमाण्ड किया गया है, इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक क्रं0 1 बाबूसिंह शिक्षित है, पढ़ा–लिखा है एवं श्यामलाल द्वारा बताया गया था कि वह वृद्ध है, इस का बात का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया । राजस्व मण्डल एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निकटतम रिश्तेदारों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज किया गया है। अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तहसील न्यायालय मेहगांव एवं अनुविभागीय

अधिकारी, न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । कोटवारी नियमों में निकट सम्बन्धी को अग्रमान्यता देने का प्रावधान है। अतः इस आधार पर अपर आयुक्त ने पुनः जांच के लिए रिमाण्ड करने में कोई त्रुटि नहीं की है। लेकिन प्रकरण में आवेदक ने यह बिन्दु उठाया है कि अनावेदक कोटवार के कार्यक्षेत्र में निवास नहीं करता है । यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका परीक्षरण भी आवश्यक है । अतः अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है कि पुर्ननियुक्ति के पूर्व विचारण न्यायालय आवेदकों के निवास स्थान की भी जांच कर लेवे तथा दोनों आवेदकों पर ग्राम पंचायत की स्पष्ट अनुशंसा भी प्राप्त करें । उक्त संशोधन के साथ निगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर